

जितेन्द्र v/s गेंदी डेनी 2025/140

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

13/06/25

पत्रावली पेश। वकील शर्मा' उपाक्षित
 श्री. पत्र से सम्बन्धित मूल प्रथम पत्र
 का निस्तारण हो जाने से इस प्रथम
 पत्र को आगे चलाये जाने का कोई
 औचित्य नहीं है। अतः प्रथम पत्र
 अस्पष्ट निषेधाज्ञा को इसी स्तर
 पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली
 नम्बर से कम होकर दायित्व
 दफतर हो।



उप सहायक अधिकारी
 दस्ता (विशेष पत्रपुर)


